

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II-Section 3-Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 849]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 27, 2009/ज्येष्ठ 6, 1931

No. 8491

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 27, 2009/JYAISTHA 6, 1931

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2009

का,आ. 1355(अ),---पर्यावरण (सुरक्षा) नियमावली, 1986 के नियम 10 के साथ पठित पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 12 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) और धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अंतर्गत ऐसी प्रयोगशालाओं को सौंपे गए कार्यों को करने के लिए नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट की गई प्रयोगशालाओं को, पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के रूप में और केन्द्रीय सरकार अथवा उक्त अधिनियम की धारा 11 के तहत शक्ति प्राप्त अधिकारी द्वारा वायु, जल, मुदा अथवा अन्य पदार्थों के नमूनों के विश्लेषण के प्रयोजनार्थ कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट किए गए नियमों और व्यक्तियों को सरकारी विश्लेषणकर्ता के रूप में उक्त तालिका के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए मान्यता प्रदान करती हैं, और उस प्रयोजन के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की 23 मार्च, 2001 की भारत सरकार की अधिसुचना संख्या का.आ. 683 (अ) में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है नामशः :--

उक्त अधिसूचना की संलग्न तालिका में,

(i) ,—क्रम संख्या 98 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों जोडी जाएगी, नामश: :--

तालिका

क्र.सं.	प्रयोगशाला का नाम	सरकारी विश्लेषणकर्ता का नाम	लागू और कब तक मान्य
(1)	(2)	(3)	(4)
"98	मैसर्स दिल्ली टैस्ट हाऊस	(1) श्री एम.सी. गोयल	27-5-2009 ₹ 26-5-2014
	ए-62/3 जी.टी. करनाल रोड, इंडस्ट्रियल	(2) श्री अनुज कुमार	
	एरिया, ऑपोजिट हंस सिनेमा, आजादपुर,	(3) श्री किशोर चंद्र दास	
	दिल्ली - 110033		

[फा. सं. क्यू-15018/7/2003-सी पी डब्ल्यू]

रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 18 जुलाई, 2007 की संख्या का.आ. 1174(अ) के तहत प्रकाशित की गई थी और दिनांक 13 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 1539 (अ), दिनांक 24 अक्तूबर, 2007 की सं. का.आ. 1811(अ), दिनांक 9 जनवरी, 2008 की सं. का.आ. 55(अ), दिनांक 4 मार्च, 2008 की सं. का.आ. 428(अ), दिनांक 11 अप्रैल, 2008 की संख्या का.आ. 865(अ), दिनांक 31 जुलाई, 2008 की सं. का.आ. 1894(अ) तथा दिनांक 25 नवम्बर, 2008 की संख्या का.आ. 2728(अ) के तहत संशोधित की गई थी।

2001 GI/2009

(1)

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2009

S.O. 1355(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 12 and Section 13 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with rule 10 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby recognises the laboratories specified in column (2) of the Table given below as environmental laboratories to carry out the functions entrusted to such laboratories under the said Act and rules made thereunder, and the persons specified in column (3) as Government Analysts for the purposes of analysis of samples of air, water, soil or other substances sent for analysis by the Central Government or the officer empowerede under Section 11 of the said Act, for a period specified in column (4) of the Table aforesaid, and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry or Environment and Forests, number S.O. 683(E), dated the 23rd March, 2001, namely:—

In the Table appended to the said notification,

(i) ,—for serial number 98 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substances, namely :—

		TABLE	
Sl. No	o. Name of the Laboratory	Name of the Government Analyst	Recognition with effect from and valid up to
(1)	(2)	(3)	(4)
"98	M/s. Delhi Test House A-62/3, G.T. Karnal Road, Industrial Area,	(1) Mr. M.C. Goal (2) Mr. Anuj Kumar (3) Mr. Kishore Chandra Das	27-5-2009 to 26-5-2014
	Opp. Hans Cinema, Azadpur, Delhi-110033		

[F. No. Q.-15018/7/2003-CPW]
RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number S.O. 1174(E), dated the 18th July, 2007 and subsequently was amended vide notification numbers S.O. 1539 (E), dated the 13th September, 2007, No. S.O. 1811 (E), dated the 24th October, 2007, No. S.O. 55 (E), dated 9th January, 2008, No. S.O. 428 (E), dated 4th March, 2008, No. S.O. 865 (E) dated the 11th April, 2008, No. S.O. 1894 (E), dated 31st July, 2008 and No. S.O. 2728 (E), dated 25th November, 2008.